रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-128/91

REGISTERED No. D. (D.N.)-128/91)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 30, 1991/चैत्र 9, 1913

No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 30, 1991/CHAITRA 9, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1991

का.नि.आ. 71 :—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के निम्नलिखित प्रभाग को, जिसके 80 प्रतिशत कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है।

(1) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, कोरवा प्रभाग

[सं. एफ. 1(3)/88/रक्षा (राजभाषा-2]
मणि राम, निदेशक (राजभाषा)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 7th March, 1991

S.R.O. 71.—In pursuance of Sub-Rule (4) of the Rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976 the Central Government hereby notifies following Division of the Hindustan Aeronautics Ltd. 80% staff whereof has acquired working knowledge of Hindi :—

1. Hindustan Aeronautics Ltd., Korwa Division.

[F. No. 1(3)|88|D(Hindi-2)]
MANI RAM, Director (OL)

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1991

का.नि.आ. 72—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ मध्य कमान द्वारा श्री डी.पी. श्रीवास्तव, अधिशासी मजिस्ट्रेट का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, सागर में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फाइल सं. 19/6/सागर/सी/डी.ई./90/563/डी (क्यू एंड सी)]

New Delhi, the 11th February, 1991

S.R.O. 72.—In pursuance of sub section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Contonment Board, Saugor by reason of the acceptance by the General Official Commanding-in-Chief, Central Command of the resignaiton of Sri D. P. Shrivastava Executive Magistrate.

[F. No. 19|6|Saugor|C|DE|90|563|D(Q&C)]

का.नि.आ. 73—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि जिला मजिस्ट्रेट, सागर ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 3 के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री एच.एन. अर्गल, अधिशासी मजिस्ट्रेट का छावनी बोर्ड, सागर का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन श्री डी.पी. श्रीवास्तव, अधिशासी मजिस्ट्रेट के स्थान पर किया गया है जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है।

[फाइल सं. 19/6/सागर/सी डी.ई./90/563-ए/डी (क्यू एंड सी)]
जसवंत सिंह, अवर सचिव

S.R.O. 73.—In pursuance of sub section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Shri H.N. Argal, Executive Magistrate has been nominated as a member of the Cantonment Board, Saugor by the District Magistrate, Saugor in exercise of the powers conferred under clause (b) of sub

section 3 of section 13 of that Act vice Shri D.P. Shrivastava Executive Magistrate, whose resignation has been accepted.

[F. No. 19/6/Sangor[C]DE[90]563-A]D(Q&C)]
JASWANT SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1991

का.नि.आ. 74.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास (दूसरा संशोधन) नियम, 1991 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979 में, नियम 9 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) अधिकारियों की, यदि प्रवेश की श्रेणी में उनकी पहले ही पुष्टि नहीं की गयी है, परिवीक्षा की अवधि या उसमें किए गये विस्तार की अवधि को पूरा करने पर, यदि उपयुक्त समझा जाता है, तो पद के विरुद्ध, पुष्टि की जा सकेगी।"

[सं. डी आर डी ओ/76205/आर डी/एम पी डी-2/764/डी आर एंड डी]
एस. एल. त्रिपाठी, अवर सचिव

टिप्पण :—रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा के मूल भर्ती नियम, भारत के राजपत्र भाग-2, खण्ड-4 में का. नि. आ. 8 दिनांक 30 दिसम्बर, 1978 द्वारा प्रकाशित किये गये थे और उनमें का.नि.आ.सं. 307 दिनांक 10 अक्तूबर, 1980, का नि.आ. 196 दिनांक 2 अगस्त, 1982, का.नि.आ. 159 दिनांक 5 मई 1983, का.नि.आ. 176 दिनांक 7 अगस्त, 1984, का.नि.आ. 228 दिनांक 13 नवम्बर, 1984, का.नि.आ. 170 दिनांक 12 जुलाई, 1985, का.नि.आ. 186 दिनांक 2 अगस्त, 1985, का.नि.आ. 228 दिनांक 6 जून, 1986, का.नि.आ. 158 दिनांक 4 मई, 1987, का नि.आ. 328 दिनांक 25 सितम्बर, 1987, का.नि.आ. 11(ई) दिनांक 10 अगस्त, 1990, का.नि.आ. 1 दिनांक 4 जनवरी, 1991 और का.नि.आ. 33 दिनांक 17 जनवरी, 1991 द्वारा संशोधित किये गये हैं।

New Delhi, the 5th March, 1991.

S.R.O. 74.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Defence Research and Development Service Rules, 1979, namely :—

1. (1) These rules may be called the Defence Research and Development Service (Second Amendment) Rules, 1991.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Defence Research and Development Service Rules, 1979, in rule 9, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

(2) On completion of the period of probation or any extension thereof, officers shall, if considered fit, may be confirmed against the post, if not already confirmed in the entry grade."

[No. DRDO/76205/RD/MPD-2/764/D. (R&D)]
S. L. TRIPATHI, Under Secy.

NOTE :—The Defence Research & Development Service Rules published in the Gazette of India Part II, Section 4, vide S.R.O. 8, dated the 30th December, 1978, have been amended vide S.R.O. 307, dated the 10th October, 1980, S.R.O. 196, dated the 2nd August, 1982, S.R.O. 159, dated the 5th May, 1983, S.R.O. 176, dated the 7th August, 1984, S.R.O. 228, dated the 13th November, 1984, S.R.O. 170 dated the 12th July, 1985, S.R.O. 186, dated the 2nd August, 1985, S.R.O. 228, dated the 6th June, 1986, S.R.O. 158, dated the 4th May, 1987, S.R.O. 328, dated the 25th September, 1987, S.R.O. 11(E) dated the 10th August, 1990, S.R.O. 1 dated the 4th January, 1991, and S.R.O. 33, dated the 17th January, 1991.

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1991

का.नि.आ. 75.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल मुख्यालय और अन्तर सेवा संगठन (कलाकार अनुशोधक और सहायक कलाकार अनुशोधक) भर्ती नियम, 1986 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल मुख्यालय और अन्तर सेवा (संगठन) कलाकार अनुशोधक और सहायक कलाकार अनुशोधक (भर्ती संशोधन) नियम, 1991 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल मुख्यालय और अन्तर सेवा संगठन (कलाकार अनुशोधक और सहायक कलाकार अनुशोधक) भर्ती नियम, 1986 की अनुसूची में,—

(1) कलाकार अनुशोधक के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने (ङ) स्तम्भ (6) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"18 से 25 वर्ष के बीच,

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।)

टिप्पण :—आयु सीमा अवधारित करने के लिए नियोजक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भर्ती की दशा में, आयु सीमा अवधारित करने के लिए नियोजक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।"

(ख) स्तम्भ (12) में, "प्रोन्नति" के नीचे "ऐसा सहायक कलाकार अनुशोधक, जिसने उस ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवा की है" शब्द और अक्षरों के स्थान पर "ऐसा सहायक कलाकार अनुशोधक" जिसने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण :—जब ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों की प्रोन्नति के संबंध में, जिन्होंने अपेक्षित सेवा पूरी कर ली है, विचार किया जाता है, उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी, जिन्होंने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है, विचार किया जायेगा शब्द और अंक लिखे जाएंगे।